प्रपत्र–3

परियोजना का नामः–

नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के सालिड वेस्ट मैनेजमैन्ट हेतु अगस्त्यमुनि–सौड भट्ट गांव मोटर मार्ग पर अगस्त्यमुनि रिर्जव कक्ष संख्या–01 में चयनित 0.90 है0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

(सलग्न है)

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि
रुद्रप्रयाग
Executive Officer
Nagar Panchayat Augustyamuni
(Rudraprayag-Uttarakhand)

अध्यक्ष
नगर पंचायत अगस्त्यमुनि
जनपद–रुद्रप्रयाग
Chairman
Nagar Panchayat Augustyamuni
(Rudraprayag-Uttarakhand)

8

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट

संख्या– /IV-3/2019–12(18 SWM)/18

प्रेषक,

शैलेश बगोली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः 17 जून, 2019।

विषय– नगर पंचायत, अगस्तमुनि की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण के पत्र संख्या–5287/31/ठोस अपशिष्ट/SBM/2016–17, दिनांक 02 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय समिति की बैठक दिनांक 18.01.2019 के अनुपालन में नगर पंचायत, अगस्तमुनि की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना की रू0 97.53 लाख की संशोधित डी0पी0आर0 शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, अगस्तमुनि की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना की टी0ए0सी0, वित्त विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी लागत रू0 68.34 लाख निर्माण कार्य हेतु एवं रू0 29.19 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 अर्थात कुल रू0 97.53 लाख (रू0 सत्तानवे लाख तिरेपन हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत केन्द्रांश की प्रथम किश्त रू0 16.57 लाख (रू0 सोलह लाख सत्तावन हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन प्रदान करते हैः–

(i) नगर पंचायत, अगस्तमुनि की ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना हेतु स्वीकृत रू0 97.53 लाख में से रू0 33.15 लाख स्वच्छ भारत मिशन से, रू0 60.81 लाख चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से देय होगे तथा रू0 3.57 नगर पंचायत, अगस्तमुनि द्वारा स्वयं के स्रोतो से वहन किये जायेगे।

(ii) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि रू0 16.57 लाख आपके द्वारा आहरित कर योजनान्तर्गत चयनित नगर निकाय को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(iii) भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी Guideline एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

Scanned by CamScanner

(v) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितना मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(vii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टयों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(viii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(x) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 20.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(xi) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(xii) सम्बन्धित निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 02 तारीख तक उक्त कार्यो की प्रगति विवरण (फोटोग्राफ्स सहित) शहरी विकास निदेशालय/सूडा तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104–स्वच्छ भारत मिशन–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा। (2217038000110 से स्थानान्तरित)

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–97/XXVII(2)/19, दिनांक 10 जून, 2019 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

7– एलॉटमैण्ट आई0डी0 संख्या–S1906013OO14, दिनांक 17 जून, 2019 के द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन रूप से अवमुक्त की गई है।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

3.......

संख्या–1267/IV-3/2019–12(18 SWM)/19, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढवाल मण्डल, पौडी।
5. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, अगस्तमुनि।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रईस अहमद)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner